फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय थर्ड फ्लोर नंबर 307, मेघ टावर्स, पीएच रोड, मधुरावोयल, चेन्नई – 600095, तमिलनाडू एवं कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोर नंबर 5 एवं 6, बी विंग सुप्रीम बिजनीश पार्क, सुप्रीम सिटी, पवाई, मुम्बई–400076, महाराष्ट्र शाखा कार्यालय केसर मॉल फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 115, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड़ जयपुर–302015 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रामसिंह। **–प्रार्थी**

बनाम

1. हितेश श्रीमाली पुत्र श्री रामचन्द्र श्रीमाली, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लाल बाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा राजसमंद – 313301 **ऋणी / बंधककर्ता**
2. रामचन्द्र श्रीमाली पुत्र श्री जमना लाल श्रीमाली, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लाल बाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा राजसमंद – 313301 **सह–ऋणी / अप्रार्थीगण**
3. चन्द्रकंला श्रीमाली पत्नी श्री रामचन्द्र श्रीमाली, फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लाल बाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा राजसमंद – 313301 **सह–ऋणी / अप्रार्थीगण**
4. रितु श्रीमाली पत्नी श्री हितेश श्रीमाली फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लाल बाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा राजसमंद – 313301 **सह–ऋणी / अप्रार्थीगण**
5. मैसर्स विनायक पेन्टस नि. फौज मोहल्ला, नाथद्वारा राजसमंद – 313301 **सह–ऋणी / अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 06 / 2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर ने दिनांक 10.01.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये ऋण अनुबंध संख्या 602707510173925 दिनांक 29.05.2017 के जरिये विपक्षीगण को कुल 2149038 /– अक्षरे इक्कीस लाख उनचास हजार अडतीस रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण की अदायगी वर्ष 2017 से प्रारंभ होनी थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण के मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु	

कार्यालय जिला कलक्टर

सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपति खसरा नं. 728 फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लालबाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा में स्थित जिसकी चारो सीमाएँ पूर्व में – प्रकाश की भूमि, पश्चिम –रास्ता, उत्तर – फतेहलाल की संपति, दक्षिण – पानी का धोरा को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। अप्रार्थीगण/ऋणी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के जिम्मे उक्त ऋण खाते में बकाया राशि 23,67,690.36 अक्षरे तेईस लाख सडसठ हजार छः सौ नब्बे रूपये छत्तीस पैसे दिनांक 27.05.2021 तक शेष देय है, दिनांक 28.05.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 29.05.2021 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस डाक के माध्यम से अप्रार्थीगणों को उनके ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 05.06.2021 को प्राप्त हो गये। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण/ऋणियों/सहऋणियों द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं क़िया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणियों को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 29.05.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ ऋणी/सहऋणियों द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक/अचल सम्पति खसरा नं. 728 फ्रेण्ड्स कॉलोनी, लालबाग, शिव मंदिर के पास, नाथद्वारा में स्थित जिसकी चारो सीमाएँ पूर्व में – प्रकाश की भूमि, पश्चिम –रास्ता, उत्तर – फतेहलाल की संपति, दक्षिण – पानी का धोरा।

न्यायालय जिला कलक्टर

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी फूलर्टन इण्डिया होम फाईनेंस कंपनी लिमिटेड टोंक रोड़ जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)